न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2022/191 दायरा दिनांक : 20.10.2022

उनवान

1. नेनगीराम पुत्र मांग्या, जाति कीर
2. नरसंगा पुत्र मांग्या, जाति कीर
3. रामदयाल पुत्र मांग्या, जाति कीर
4. बजरंगलाल पुत्र मांग्या, जाति कीर
5. मेघराज पुत्र मांग्या, जाति कीर
6. शांतिबाई पुत्री मांग्या, जाति कीर
7. प्रेमबाई पुत्री मांग्या, जाति कीर
8. हरक्याबाई पुत्री मांग्या, जाति कीर
9. द्रोपतीबाई पुत्री मांग्या, जाति कीर, निवासीगण पाली, तहसील किशनगंज हाल निवासी ग्राम मण्डी, तहसील श्योपुर, जिला गुना मध्यप्रदेश
10. रामकंवरी बेवा मांग्या, जाति कीर, निवासीगण पाली, तहसील किशनगंज हाल निवासी ग्राम मण्डी, तहसील श्योपुर, जिला गुना मध्यप्रदेश मृतक

.... अपीलांट

बनाम

1. रामकिशन आयु 48 वर्ष पुत्र श्री छोटूलाल, जाति गूर्जर, निवासी कीरपुरिया, तहसील अटरू, जिलाब बारां राजस्थान
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री बृजराज सिंह चौहान एवं श्री चन्द्र मोहन वर्मा अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री हरिओम चतुर्वेदी, श्री सुमित मीणा अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 03.09.2025

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या – 27/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 18.03.2020 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 183, 188 राजस्थान काश्तकारी

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि वाके ग्राम एवं माल रीछन्दा, तहसील अटरू, जिला बारां में आराजी पुराना खसरा नं. 819 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा स्थित है। उक्त रकबे का बाद सैटलमेंट नवीन खसरा नं. 1281 रकबा 1.23 हेक्टर बनाये। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 18.03.2020 से वादी का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट कम 1 ने उक्त वाद दिनांक 04.02.2016 को प्रस्तुत किया और प्रतिवादीगण की दिनांक 30.03.2016 को तलबी हेतु साया अखबार के आदेश जारी कर दिया। पत्रावली की आदेशिका पर यह कही अंकित नहीं है कि कौनसे अखबार में प्रतिवादीगण की तलबी हेतु अखबार साया करवाया गया। अपीलांट्स प्रतिवादीगण ग्राम मण्डी, तहसील श्योपुर, जिला श्योपुर मध्यप्रदेश में निवास करते हैं। प्रतिवादीगण की तलबी हेतु अखबार साया करवाया गया वह अखबार न तो अपीलांट्स द्वारा पढ़ा है, ना ही प्रतिवादीगण के गांव में वह अखबार पहुंचता है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय काबिल निरस्तनीय है। प्रतिवादी/अपीलांट कम 10 रामकंवरी बाई का स्वर्गवास दिनांक 20.05.2016 को हो चुका है। उक्त निर्णय मृतक व्यक्ति के खिलाफ पारित किया गया है, जो पूर्ण रूप से अबेट हो चुका है अतः निर्णय एवं डिक्री विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित ग्राम रीछन्दा, तहसील अटरू के बाबत वादी रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 व धारा 151, 152 जाप्ता दीवानी के अन्तर्गत प्रस्तुत कर आराजी ग्राम कीरपुरिया, तहसील अटरू में स्थित होना बताया है जिसे स्वीकार करते हुए न्यायालय ने विवादित आराजी ग्राम कीरपुरिया, तहसील अटरू की भूमि होना मानकर डिक्री एवं निर्णय में संशोधन किया गया है। जबकि प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 जा0 दी0 मियाद बाहर प्रस्तुत किया गया है जिसे विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार किया है, जो विधिक त्रुटि है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद प्रतिवादीगण/अपीलांट्स की अनुपस्थिति में बिना सुनवायी एवं जवाबदेही का अवसर दिये डिक्री किया है, जिससे प्रतिवादीगण न्याय प्राप्ति से वंचित हुए हैं। विवादित आराजी के प्रतिवादीगण अपीलांट्स एक मात्र खातेदार है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के तहत खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार का निर्णय एवं डिक्री बिना सुनवायी एवं जवाबदेही के पारित नहीं किया जा सकता। किन्तु विचारण न्यायालय विधि की मंशा के विरूद्ध निर्णय पारित कर भारी कानूनी भूल की है। अतः अपील पेश कर निवेदन है

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जाकर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.03.2020 निरस्त फरमाया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 02.10.2022 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस एवं अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट कम 1 ने उक्त वाद दिनांक 04.02.2016 को प्रस्तुत किया और अगली तारीख दिनांक 30.03.2016 को तलबी हेतु साया अखबार के आदेश जारी कर दिया, जो गलत है। प्रतिवादीगण ग्राम मण्डी, तहसील श्योपुर, जिला गुना में रहते हैं यह अखबार गांव में नहीं जाता है। प्रतिवादी रामकंवरी का नाम नं. 10 पर है। दिनांक 20.05.2016 को रामकंवरी का स्वर्गवास हो गया। मृतक के खिलाफ दावा पेश किया गया है। हमने मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया है। अतः मृतक के खिलाफ दावा मेन्टेनेबल नहीं है। मृतक के कायम मुकामान एवं वारिसान नहीं बनाये गये। वादी ने अपने बयान करवाकर दावा डिक्री करवा लिया। प्रतिवादी 1 लगायत 10 वादग्रस्त आराजी के खातेदार हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रोपर तामील नहीं करवायी और मृतक के खिलाफ दावा पेश किया गया। खातेदार के विरूद्ध दावा गलत रूप से पेश किया गया है। अतः प्रकरण प्रोपर सुनवायी एवं साक्ष्य के लिए अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि प्रतिवादी गॉव छोड़कर चले गये हैं। तीन पीढ़ियों से वादग्रस्त आराजी पर हमारा कब्जा काश्त चला आ रहा है। दैनिक भास्कर अखबार श्योपुर में जाता है। यह जिला ग्वालियर का एडिशन है। मृतक के वारिसान पूर्व से ही रिकार्ड पर है। धारा 63 के अनुसार 12 साल तक दखल नहीं करने पर खातेदारी अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। अतः अपील खारिज की जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने पक्ष के समर्थन में 2019 डी.एन.जे. (एस.सी.) पेज 927 की नजीर उद्धरत की।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट कम 1 ने अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत ग्राम रीछन्दा, तहसील अटरू, जिला बारां की आराजी पुराना खसरा नं. 819 रकबा 07.07 बीघा आराजी जिसके सैटलमेंट बाद नवीन खसरा नं. 1281 रकबा 1.23 हेक्टर बने हैं के सन्दर्भ में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध खातेदारी अधिकारों की घोषणा, बेदखली एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 04.02.2016 को दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु दिनांक 30.03.2016 तारीख पेशी नियत की गई। दिनांक 30.03.2016 की आदेशिका के अनुसार प्रतिवादी कम 11 की तामील मानते हुए प्रतिवादी कम 1 लगायत 10 के सम्मन बाद तामील अप्राप्त होना अंकित करते हुए प्रतिवादी कम 1 लगायत 10 कीं तलबी जर्ये राष्ट्रीय अखबार के माध्यम से करने हेतु आदेशित किया गया। दिनांक 05.12.2016 को प्रतिवादीगण तामील जर्ये अखबार होना मानते हुए दिनांक 05.01.2017 को प्रतिवादी कम 1 लगायत 10 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। दिनांक 12.02.2018 को जवाब सरकार बन्द करते हुए साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू. 1, पी. डब्ल्यू. 2, पी. डब्ल्यू. 3 के बयान दर्ज कर बहस अधिवक्ता सुनकर दिनांक 18.03.2020 को वाद वादी स्वीकार करते हुए एक तरफा निर्णय एवं डिकी जारी की गई।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नकल जमाबंदी संवत 2038 से 2041, संवत 2034 से 2036, संवत 2030 से 2033, संवत 2026 से 2029 प्रदर्श पी–5, प्रदर्श पी–6, प्रदर्श पी–7, प्रदर्श पी–8 ग्राम रीछन्दा, तहसील अटरू की खसरा नं. 816 व 819 रकबा 22.11 बीघा आराजी मांग्या पुत्र कालू, कौम कीर, साकिन पाली, तहसील किशनगंज के खाते दर्ज रिकार्ड है। नकल मिलान क्षेत्रफल बंदोबस्त विभाग प्रदर्श पी–4 के अनुसार साबिक खसरा नं. 819 रकबा 07.07 बीघा के हाल खसरा नं. 1281 रकबा 1.23 हेक्टर बने हैं। नकल जमाबंदी संवत 2068 से 2071 के अनुसार ग्राम कीरपुरिया, तहसील अटरू की खाता सं. 46 खसरा नं. 1281

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

रकबा 1.23 हेक्टर आराजी नेनगीराम, नरसंगा, रामदयाल, बजरंगलाल, मेघराज पुत्र मांग्या, शांति, प्रेम हरक्या, द्रोपती पुत्रियां मांग्या, रामकंवरी बेवा मांग्या, कौम कीर, साकिन पाली, तहसील किशनगंज हाल मुकाम ग्राम मण्डी, तहसील श्योपुर, जिला मुरैना मध्य प्रदेश के खाते दर्ज रिकॉर्ड है, जो प्रतिवादी अपीलांट के रूप में वर्तमान अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार है।

अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट कम 1 ने विवादित आराजी पर अपने प्रतिकूल कब्जे को साबित करने हेतु कोई दस्तावेजी साक्ष्य जैसे खसरा गिरदावरी आदि प्रस्तुत नहीं की केवल मौखिक साक्ष्य के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी पर वादी रेस्पोडेंट का कब्जा होना स्वीकार किया है। वादी रेस्पोडेंट के कब्जे के सन्दर्भ में तहसील से किसी प्रकार की रिपोर्ट प्राप्त होना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट नहीं होता। प्रतिवादी अपीलांट व्यक्तिगत तामील के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रखने से वंचित रह गये और अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र वादी के कथन एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर वादी का वाद स्वीकार कर एकतरफा डिक्री पारित कर दी है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विधिक प्रावधान, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत एवं माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर द्वारा दिनांक 03.06.2011 को जगदीश बनाम सीताराम में पारित निर्णय के विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.03.2020 खारिज की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य व सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में तनकीवार विवेचन के पश्चात पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.10.2025 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

03/09/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा